संख्या- 156 /78-1-2018-25/2012

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी,2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.3 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या-5.3 "केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन" में निम्नवत् व्यवस्था है:-

5.3 **केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)**

- 'रेडी टू मूव इन' सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान-2 व सोपान-3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक को आईटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए विकासकर्ता को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा मेगा निवेश हेतु ब्याज उपादान, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण उपादान, भूमि लागत की प्रतिपूर्ति इत्यादि के रूप में केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति उपरान्त मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है।
- मेगा परियोजनाओं हेतु केस-टू-केस आधार पर निम्नानुसार अनुमन्य होगेः-

प्रात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक		
श्रेणी	**सोपान-1**	**सोपान-2 व 3**
मेगा इकाई	रू 100 से 200 करोड का निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों को रोजगार	रू 50 से 100 करोड का निवेश अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार
मेगा प्लस इकाई	रू 200 से 5000 करोड का निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों को रोजगार	रू 100 करोड से अधिक का निवेश अथवा 2000 व्यक्तियों को रोजगार

3 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 <u>प्रोत्साहन अवधि</u>

यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुमन्य होंगे।

3.2 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.3 <u>पात्र इकाई के दायित्व</u>

केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो कार्यदायी संस्था के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

3.4 <u>परिभाषायें</u>

एतद्द्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

4 उपरोक्त प्रदर्शित प्रोत्साहन सशक्त समिति की संस्तुति पर मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे।

5 अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6 आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 695/78-1-2016-25/2012टीसी-4 दिनांक 27 जून 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 156(1)78-1-2018-25/2012/</u>तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।

9 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

10 औद्योगिक विकास १ खा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

12 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।

13 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

15 गार्ड फाइल।

02-02-18

02/02/18

आज्ञा से,

(हरी राम)

अनु सचिव